फा.सं.एफ.1/7(2)/2024 - भ.iii

संघ लोक सेवा आयोग

भ.III अनुभाग

पद का नाम	अंडमान महाविद्यालय, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन में सहायक प्रोफेसर (बीबीए) के पद पर 01 (एक) अना. रिक्ति।
विज्ञापन सं.	07/2024
रिक्ति सं.	24040716313

अनिवार्य योग्यताएं (अ.यो.)	(क) अनिवार्य योग्यताएं (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से 55 % अंकों (अथवा जहां ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई गई है, वहां प्वाइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड) के साथ मास्टर डिग्री (एमबीए)। (ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एन.ई.टी.) या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त समकक्ष अन्य परीक्षा जैसे एस.एल.ई.टी. (राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा) / एस.ई.टी. (राज्य पात्रता परीक्षा) उत्तीर्ण होना चाहिए या जिसे विश्वविदायालय अनुदान आयोग (एम.फिल. / पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 या 2016 और समय-समय पर होने वाले उनके संशोधनों के अनुसार पीएच.डी की उपाधि प्रदान की गई हो, परन्तु, 11 जुलाई 2009 से पहले पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए पंजीकृत उम्मीदवार उपाधि प्रदान करने वाले संस्थानों के तत्कालीन मौजूदा अध्यादेशों / उपनियमों / विनियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे बशर्ते ऐसे पीएच.डी. उम्मीदवारों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / संस्थानों में सहायक प्रोफेसर की भर्ती और नियुक्ति के लिए एन.ई.टी. / एस.एल.ई.टी. / एस.ई.टी. की आवश्यकता से निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन छूट दी जाएगी :- क) उम्मीदवार की पीएच.डी. उपाधि नियमित रूप में प्रदान की गई हो; ख) पीएच.डी. शोध लेख का कम से कम दो बाह्य परीक्षकों के द्वारा मूल्यांकन किया गया हो; ग) उम्मीदवार की पीएच.डी. हेतु मुक्त मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो; घ) उम्मीदवार ने अपने पीएच.डी. शोध-लेख से दो शोध पत्रों को प्रकाशित किया हो जिसमें से कम से कम एक संदर्भित पत्रिका में होना चाहिए; ङ) उम्मीदवार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद/ या किसी समकक्ष एजेंसी द्वारा प्रायोजित/ वित्तपोषित / समर्थित किसी सम्मेलन / संगोष्ठी में अपने पीएच.डी. शोध-कार्य के आधार पर कम से कम दो शोध पत्र प्रस्तुत किए हों। उपर्युक्त शर्तों (क) से (ङ) की पूर्ति संबंधित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार / डीन (शैक्षणिक/ अकादमिक मामले) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। अथवा

	(ख) किसी विदेशी विश्वविद्यालय / संस्थान से **प्रबंधन** में पीएच.डी. की उपाधि।

अपनाए गए मापदंड	(i) संवीक्षा, उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई जानकारी और इसके साथ अपलोड किए समर्थित दस्तावेजों के आधार पर कंप्यूटर प्रणाली द्वारा जनरेट की गई रिपोर्ट के आधार पर की गई है। (ii) आवेदकों की संवीक्षा करने के लिए अध्यापन अनुभव में 06 महीने या उससे अधिक के बढाए गए मानदंड को लागू किया गया है। (iii) एक और बढाया गया मानदंड, जिसमें मास्टर डिग्री (एमबीए) + एनईटी + यूजीसी विनियम, 2009 अथवा 2016 के अनुसार पीएच.डी, को भी लागू किया गया है। (iv) नियुक्ति पत्रों, कार्यालय आदेशों, त्याग पत्रों, वेतन प्रमाण-पत्रों, सेवा प्रमाण-पत्रों और उम्मीदवार द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्रों या स्व-रोजगार प्रमाण-पत्रों को अनुभव के प्रमाण के रूप में नहीं माना गया है। ऐसे उम्मीदवारों को 'अपूर्ण' श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है। (v) जिन अनुभव प्रमाण-पत्रों पर कार्यों के स्वरूप का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, उन पर विचार नहीं किया गया है और 'अपूर्ण' के रूप में अस्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार, ऐसे आवेदक जिन्होंने संगत अनुभव का दावा किया है लेकिन इसके समर्थन में संलग्न किया गया अनुभव प्रमाण-पत्र, दावा की गई सम्पूर्ण अवधि का नहीं है या किए गए दावे का समर्थन नहीं करता है, उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया है। संगत अनुभव की केवल उस अवधि पर विचार किया गया है, जिसके लिए अपेक्षित/संगत अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए गए है। (vi) कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया जा सकता है। उन्हें सर्वाधिक उपयुक्त श्रेणी के तहत अस्वीकार किया गया है। **नोट:- आयोग द्वारा मापदंडों का निर्धारण, प्रत्येक मामले के आधार पर किया जाता है।**

3. संवीक्षा विवरण आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर दिनांक 30/07/2024 को अपलोड किए गए थे, जिसके द्वारा अस्वीकृत उम्मीदवारों को अपनी अस्वीकृति के संबंध में दिनांक 09/08/2024 तक अभ्यावेदन देने का अवसर दिया गया था।

4. दिनांक 09/08/2024 तक 07 उम्मीदवारों से ई-मेल अभ्यावेदन/सीएफडी प्राप्त हुए हैं और इनकी जांच की गई है। विचाराधीन क्षेत्र में आने वाले सभी आवेदनों की पुनर्जांच कर ली गई है। ई-मेल और अभ्यावेदनों का पुनःपरीक्षण ऑनलाइन आवेदनों, शैक्षणिक योग्यताओं और ओआरए के साथ प्राप्त समर्थित दस्तावेजों तथा आयोग द्वारा अपनाए गए मापदंडों एवं मानदंडों के सन्दर्भ में किया गया है। तदनुसार, अनुवर्ती टिप्पणियां तथा प्रस्ताव निम्नानुसार तालिकाबद्ध हैं:

क्रम सं.	अनुक्रमांक	अपेक्षित दस्तावेज	टिप्पणियां
1	17	i) जन्म तिथि के प्रमाण हेतु 10वीं कक्षा का प्रमाण-पत्र ii) विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार या डीन द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र कि पीएच.डी डिग्री विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2009 या 2016 के अनुसार प्रदान की गई है।	उम्मीदवार ने जन्मतिथि के प्रमाण हेतु 10वीं कक्षा के अपेक्षित प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत कर दी है परन्तु विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार या डीन द्वारा जारी किया गया अपेक्षित प्रमाण-पत्र कि पीएच.डी डिग्री विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2009 या 2016 के अनुसार प्रदान की गई है, प्रस्तुत नहीं किया है। **अतः, उनका आवेदन एलईक्यू-क के अंतर्गत अस्वीकृत किया जा सकता है।**
2	36	प्रबंधन में पीएच.डी डिग्री विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2009 या 2016 के अनुसार जारी। **या** सभी सेमेस्टरों के अंक पत्रकों के साथ प्रबंधन में प्रोविजनल पीएच.डी डिग्री	उम्मीदवार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2009 या 2016 के अनुसार प्रबंधन में पीएच.डी. डिग्री का अपेक्षित प्रमाण-पत्र, प्रस्तुत नहीं किया है। **या सभी सेमेस्टरों के अंक पत्रकों के साथ प्रबंधन में प्रोविजनल पीएच.डी डीग्री** **अतः, उनका आवेदन एलईक्यू-क के अंतर्गत अस्वीकृत किया जा सकता है।**
3	39	10वीं कक्षा के प्रमाण-पत्र तथा ओआरए में उम्मीदवार की माता जी का नाम मेल नहीं खाने संबंधी शपथ-पत्र	उम्मीदवार ने 10वीं कक्षा के प्रमाण-पत्र तथा ओआरए में उम्मीदवार की माता जी का नाम मेल नहीं खाने संबंधी अपेक्षित शपथ-पत्र, प्रस्तुत नहीं किया है। **अतः उनका आवेदन अपूर्ण – अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकृत किया जा सकता है।**
4	65	i) एमबीए के ग्रेड रिपोर्ट कार्ड में प्राप्त सीजपीए 9.08, 55% या उससे अधिक के समान है, प्रमाणित करने वाला प्रमाण अथवा प्रमाण-पत्र ii) प्रबन्धन में यूजीसी-एनईटी परीक्षा पास होने के प्रमाण	उम्मीदवार ने एमबीए के ग्रेड रिपोर्ट कार्ड में प्राप्त सीजपीए 9.08, 55% या उससे अधिक के समान है, प्रमाणित करने वाला प्रमाण-पत्र, प्रबन्धन में यूजीसी-एनईटी परीक्षा पास होने के प्रमाण और यूजीसी विनियम, 2017 के तहत पी.एचडी पूरा करने संबंधी अधिसूचना के मांगे गए प्रमाण के प्रति को जमा किया हैं। **इसलिए, उन्हें लघुसूचीबद्ध किया जा सकता है।**

5	66	i) प्रबन्धन में यूजीसी-एनईटी परीक्षा पास होने के प्रमाण ii) विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार या डीन का प्रमाण-पत्र जिसमें उल्लेख किया गया है कि पीएच.डी डिग्री यूजीसी विनियम, 2009 अथवा 2016 के अनुसार जारी की गई है।	उम्मीदवार ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार या डीन का प्रमाण-पत्र जिसमें उल्लेख किया गया है कि पीएच.डी डिग्री यूजीसी विनियम, 2009 अथवा 2016 के अनुसार जारी की गई है, के मांगे गए प्रमाण के प्रति को जमा किया है, परन्तु बढाए गए मानदंड-II के तहत प्रबन्धन में यूजीसी-एनईटी परीक्षा पास होने के प्रमाण जमा नहीं किया है। **इसलिए, उनके आवेदन को एलईक्यू –क के तहत अस्वीकृत किया जा सकता है।**
6	71		उम्मीदवार ने स्वयं एक नवीनतम अनुभव प्रमाण-पत्र की प्रति जमा की है, जोकि उम्मीदवार द्वारा सहायक प्रोफेसर के रूप में दिनांक 14.02.2019 से कार्यभार ग्रहण करने के संबंध में है, जिसका संबंध में उनके ऑनलाइन भर्ती आवेदन में अपलोड किए गए अनुभव प्रमाण-पत्र में चूकवश दिनांक 14.02.2018 हो गया है। चूंकि उनके पास अभी भी 06 महीने से अधिक का अध्यापन संबंधी अनुभव है और यह ओआरए में किए गए दावे के भीतर है, **उनको लघुसूचीबद्ध किया जा सकता है।**
7	72	प्रबन्धन में यूजीसी-एनईटी परीक्षा पास होने के प्रमाण	उम्मीदवार ने मांगे गए प्रबन्धन में यूजीसी-एनईटी परीक्षा प्रमाण-पत्र की प्रति जमा की है। **इसलिए, उनको लघुसूचीबद्ध किया जा सकता है।**
अभ्यावेदन			
8	08	एलईसी	उम्मीदवार ने बढ़ाए गए मानदंड-I के अंतर्गत अपेक्षित अध्यापन में अनुभव का कोई दावा ऑनलाइन भर्ती आवेदन में नहीं किया है। **इसलिए, उनके आवेदन को एलईसी के अंतर्गत अस्वीकार किया जा सकता है।**
9	30	एलईसी	उम्मीदवार के पास बढ़ाए गए मानदंड-I के अंतर्गत अपेक्षित अध्यापन में न कोई अनुभव है और न ही इसका कोई दावा किया है। **इसलिए, उनके आवेदन को एलईक्यू-ख के अंतर्गत अस्वीकार किया जा सकता है।**
10	53	एलईक्यू-क	उम्मीदवार ने प्रबन्धन में मास्टर डिग्री को न तो अपलोड किया है और न ही ओआरए में इसका दावा किया है। **इसलिए, उनके आवेदन को एलईक्यू-क के अंतर्गत**

			अस्वीकार किया जा सकता है।

तदनुसार, सभी ई-मेलों/अभ्यावेदनों के जांच के पश्चात्, चार उम्मीदवारों को, (अनुक्रमांक 17, 36, 39 एवं 66) जिनको पहले अनंतिम रूप से लघुसूचीबद्ध किया गया था, अस्वीकार किया गया है, चूंकि उन्होंने मांगे गए दस्तावेजों के प्रति को जमा नहीं किया है। अन्य उम्मीदवारों के अनंतिमता के शर्त को हटा दिया गया है। तथापि, तीन उम्मीदवारों (अनुक्रमांक 08, 30 एवं 53) द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण और औचित्य संतोषप्रद नहीं पाए गए हैं और ये आयोग के प्रारंभिक निर्णय को संशोधित और परिवर्तित करके इन उम्मीदवारों को लघुसूचीबद्ध करने के लिए उपयुक्त एवं विश्वसनीय आधार नहीं हैं। इसलिए, इनकी अस्वीकृति की स्थिति को बरकरार रखा जाता है।

तदनुसार, संशोधित संवीक्षा निम्नानुसार है**:**

01 (एक) अना. श्रेणी की रिक्ति हेतु संवीक्षा

मानदंड I: अ.यो (क) (i) + (ii) + 06 महीने या उससे अधिक का अध्यापन अनुभव

मानदंड II: एमबीए + एनईटी / एसईटी / एसएलईटी + यूजीसी विनियम, 2009 या 2016 के अनुसार पीएच.डी डिग्री

<u>मानदंड I के अंतर्गत संवीक्षा:</u>

<u>साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के लिए:</u>
अनुक्रमांक:
10 40 52 70 71 72

(06 उम्मीदवार)

<u>अस्वीकृत:</u>
<u>एलईक्यू-क:</u>
अनुक्रमांक: 17 21 48 53

(04 उम्मीदवार)

<u>एलईक्यू-ख:</u>
अनुक्रमांक: 30

(01 उम्मीदवार)

एलईसी:
अनुक्रमांक: 03 07 09 11 12 23 32 37 43

44 45 46 49 50 51 56 74

(17 उम्मीदवार)

<u>अपूर्ण</u>

25, 65	अनुभव प्रमाण-पत्र के बिना
39	मांगे गए दस्तावेज जमा नहीं किया

(03 उम्मीदवार)

निर्धारित आयु से अधिक आयु

अनुक्रमांक: 47

(01 उम्मीदवार)

मानदंड II के अंतर्गत संवीक्षा:

साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के लिए:
अनुक्रमांक:
35 40# 65%
मानदंड **I** के अंतर्गत भी विचार किया गया और लघुसूचीबद्ध किया गया
% मानदंड **I** के अंतर्गत भी विचार किया गया परन्तु लघुसूचीबद्ध नहीं किया गया

(03 उम्मीदवार)

अस्वीकृत:

एलईक्यू – क:

अनुक्रमांक: 36 66

(02 उम्मीदवार)

इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की सूची उनके अनुक्रमांक सहित आयोग की वेबसाइट में मुख्य पृष्ठ>>भर्ती>>भर्ती मामलों की स्थिति (विज्ञापन-वार)>>आवेदकों की सूची
में अपलोड किए गए हैं।

इस संबंध में आगे किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
संकेतक:

एलईक्यू-क (अनिवार्य योग्यता-क में कमी)

एलईक्यू-ख (अनिवार्य योग्यता-ख में कमी)

एलईसी (बढ़ाए गए मापदंड में कमी)

परामर्शदाता/उप सचिव (भ.III)

किसी भी विसंगति की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।